UPPG010091582025

न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं.–1, प्रतापगढ़।
पीठासीन अधिकारी–अजय कुमार, (एच.जे.एस.)
जे.ओ.कोड–यू.पी.–6395
अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–4659/2025

1–मो. अहमद उम्र 32 वर्ष।
2–मो. हुजैफा उम्र 19 वर्ष। पुत्रगण मो. इश्तियाक अहमद
3–मो. उबैदा उम्र 18 वर्ष ।
निवासीगण ग्राम विष्णुपुर कला थाना रानीगंज, जिला प्रतापगढ़।

..... प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश **.....अभियोगी।**

मुकदमा अपराध संख्या– 121/2025
धारा–191(2), 352, 351(3), 190, 115(2), 333, 324(4), 109(1) बी0 एन 0 एस 0
थाना–रानीगंज, जनपद–प्रतापगढ़।

06.03.2026

1. यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदकगण/अभियुक्तगण **मो. अहमद, मो. हुजैफा व मो. उबैदा** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–121/2025, धारा–191(2), 352, 351(3), 190, 115(2), 333, 324(4), 109(1) बी0 एन 0 एस 0, थाना–रानीगंज, जनपद–प्रतापगढ़ में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. **संक्षेप में अभियोजन कथानक** इस प्रकार है कि घटना दिनांक 22.04.2025 समय लगभग शाम 5.00 बजे की है। प्रार्थी घर पर बैठकर परिवारिकजनों के साथ चाय पी रहा था कि तभी पुरानी रंजिशन से जमीन/सम्पत्ति को हड़पने की नियत से गांव के ही विपक्षीगण मो0 अरमान ,मो0 अहमद, मो0 हुजैफा, मो0 उबैदा, समा बानो, नन्हीं बानो एक राय होकर हाथ में लाठी, डण्डा हाकी लेकर मां बहन की भद्दी–भद्दी गालियां देते हुए प्रार्थी के दरवाजे पर चढ़ आये व प्रार्थी के लड़के अशफ को जान से मार डालने की नियत से सिर पर जोरदार वार किया जिसमें अशरफ के सिर में गम्भीर चोट लगने से लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गये, खून की उल्टी करते हुए बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। उक्त घटना को देखकर प्रार्थी के लड़के अशरफ को बचाने हेतु नफीस अहमद, अल्ताफ दौड़ा तो उक्त विपक्षीगण ने नफीस अहमद व अल्ताफ को भी बुरी तरह मारा–पीटा, जान बचाने हेतु नफीस अहमद व अल्ताफ ने अशरफ को लेकर घर में भागे तो उक्त लोगों ने प्रार्थी का दरवाजा खोलकर पुनः अल्ताफ व नफीस अहमद को मारा–पीटा, कुर्सी आदि सामान तोड़ दिये। हल्ला गुहार की आवाज सुनकर लोगों के आने व बीच बचाव करने पर उपरोक्त लोग जान से मार डालने की एलानिया धमकी देकर चले गये। उपरोक्त लोग सरहंग व दबंग किस्म के हैं, जमीनी रंजिश रखते है। कभी भी बड़ी वारदात कर सकते हैं। प्रार्थी का लड़का मो0 अशरफ, अल्ताफ पड़ोसी, नफीस को गम्भीर चोटें आयीं हे। मो0 अशरफ गम्भीर हालत में ट्रामा सेन्टर रानीगंज से प्रतापगढ़ मेडिकल कालेज के लिए रेफर होकर इलाज करा रहा है।

Digitally signed by AJAY KUMAR
Date: 2026.03.07 11:26:58 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

3. **आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में यह आधार लिया गया है कि** प्रार्थीगण पूर्णतया निर्दोष है, मुकदमा उपरोक्त में उसे असत्य एवं फर्जी कथनों के आधार पर गलत ढंग से अभियुक्त बनाया गया है तथा मुकामी पुलिस वादी मुकदमा के दबाव में आकर प्रार्थीगण की फर्जी गिरफ्तारी करके जलालत आम बाजार के समक्ष कराना चाहती है जिसके कारण प्रार्थिनी गिरफ्तारी की जलालत से बचने के लिए यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे हैं। उपरोक्त घटना में प्रार्थीगणों की तरफ से करायी गयी घटना में वादिनी शमा बानों के बदन पर अभियोजन पक्ष के लोगों की तरफ से वादिनी के शरीर में प्राणघातक चोटें पहुंचायी गयी, जिसके कारण वादिनी काफी दिनों तक जेरे इलाज रही। घटना का क्रास कथानक होने के कारण इस स्तर पर यह निरूपित कर पाना बहुत मुश्किल है कि कथित घटना के समय कौन सा पक्ष अग्रसर व आक्रामक रहा, यद्यपि अभियोजन पक्ष अग्रसर व आक्रामक प्रमाणित है। सह अभियुक्तगण मो0 अरमान की नियमित व शमा बानो की अग्रिम जमानत पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है। प्रार्थीगण का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अलावा अन्य कोई अग्रिम जमानत आवेदन माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ अथवा अन्य किसी न्यायालय में न दिया गया है और न ही विचाराधीन है और न ही खण्डित किय गया है। प्रार्थीगण कभी के सजायाप्ता नहीं है और न ही उनका कोई आपराधिक इतिहास ही है। अतः प्रार्थीगण को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

4. आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)को सुना एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

5. **अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी**) द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया और तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर एक राय होकर मां बहन की भद्दी–भद्दी गालियां देते हुये लाठी,डण्डा,हांकी लेकर वादी मुकदमा के घर चढ़ आये और जान से मारने की नियत से उसके लड़के अशरफ के सिर में गम्भीर चोटें पहुँचायी, जिससे बेहोश होकर जमीन पर गिर गया, अशरफ को बचाने नफीस व अल्ताफ आये तो उनको भी बुरी तरह से मारा पीटा तथा जान से मारने की धमकी देते हुये चले जाने का आरोप लगाया गया है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः अग्रिम जमानत आवेदन पत्र खारिज किया जाय।

6. **प्रथम सूचना रिपोर्ट व केस डायरी के अवलोकन से** आवेदकगण/अभियुक्तगण पर सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर एक राय होकर मां बहन की भद्दी–भद्दी गालियां देते हुये लाठी,डण्डा,हांकी लेकर वादी मुकदमा के घर चढ़ आये और जान से मारने की नियत से उसके लड़के अशरफ के सिर में गम्भीर चोटें पहुँचायी जिससे बेहोश होकर जमीन पर गिर गया, अशरफ को बचाने नफीस व अल्ताफ आये तो उनको भी बुरी तरह से मारा पीटा तथा जान से मारने की धमकी देते हुये चले जाने का आरोप लगाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदकगण/अभियुक्तगण नामजद अभियुक्त है। वादी ने अपने बयान धारा 161 दं0 प्र 0 सं0 में कथन किया है कि अभियुक्तगण एक राय होकर हाथ में लाठी,डण्डा,हाकी आदि लेकर उसे मां बहन की भद्दी–भद्दी गालियां देते हुए मेरे लड़के अशरफ को जान से मार डालने की नियत से सिर पर जोरदार वार किये, जिसमें उसके लड़के अशरफ के सिर में गम्भीर चोट लगने से लहूलुहान होकर बेहोश होकर जमीन पर गिर जाने का कथन किया है। मजरूब मो0 अशरफ की चिकित्सीय रिपोर्ट में दो चोटें आयी हैं जिसमें एक चोट फटा हुआ घाव माथे पर 2 से.मी.X 0.5 से.मी. है, जिसे जेरे निगरानी रखा गया व मजरूब का चिकित्सीय परीक्षण के समय बेहोश होना व लाठी से चोट आने का उल्लेख है व उसके सिर के सी.टी.स्कैन कराये जाने की सलाह दी गयी। मजरूब

मो0 अशरफ के एस.आर.एन. अस्पताल प्रयागराज के रेडियोलॉजिस्ट डिपार्टमेन्ट के द्वारा दी गयी सी.टी. स्कैन रिपोर्ट दिनांक 23.04.2025 के अनुसार Linear non–displaced fracture is noted in parietal bone on right side and scalp hematoma in–volving parietal region of scalp. अर्थात पैराइटल बोन के दाहिने हिस्से में फ्रैक्चर होना पाया गया व उक्त चोट को सम्बंधित चिकित्सक द्वारा गम्भीर होना कहा गया है। डिस्चार्ज स्लिप के अनुसार मजरूब मो0 अशरफ दिनांक 22.04.2025 से दिनांक 24.04.2025 तक जिला अस्पताल प्रतापगढ़ में भर्ती रहकर उपचार रत रहा। मजरूब मो0 अशरफ द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0 प्र 0 सं0 में सभी अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर हाथ में लाठी,डण्डे से जान से मार डालने की नियत से उसके सिर पर लाठी लगने से बेहोश होकर जमीन पर गिर जाने का कथन किया है व डॉक्टर सुनील पाल मेडिकोलीगल द्वारा अपने बयान में चोट संख्या–1 को गम्भीर प्रकृति की होने के साथ यह भी कथन किया है कि यदि चोट का समय से इलाज नहीं होता तो मृत्यु हो सकती थी। कथित मार–पीट में मजरूब अल्ताफ हुसैन के शरीर पर चार चोटें व नफीस अहमद की चिकित्सीय रिपोर्ट के अनुसार उसके शरीर पर भी दो चोटें कथित मार–पीट में आयी है। मामला गम्भीर प्रकृति का है और मजरूब मो0 अशरफ को कथित मार–पीट में चोट मर्म स्थल पर आयी है। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। ऐसी स्थिति में मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अतः अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदकगण/अभियुक्तगण **मो. अहमद, मो. हुजैफा व मो. उबैदा** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–121/2025, धारा–191(2), 352, 351(3), 190, 115(2), 333, 324(4), 109(1) बी0 एन 0 एस 0, थाना– रानीगंज, जनपद–प्रतापगढ़ में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना **खारिज** किया जाता है।

दिनाँक : 06.03.2026

(अजय कुमार–I)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष सं.01, प्रतापगढ़।

दुर्गा प्रसाद/– स्टेनो